भारत TWENTY RUPEES बीस रुपए TWENTY RUPEES

143

समक्ष न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर बैंच, जबलपुर म.प्र.

482

अपील क्र.- /2017 I/निगरानी/जबलपुर/भू.रा./2018/0130

अपीलार्थी :- डॉ. श्रीमती चन्द्ररेखा जैन उम्र लगभग 64 वर्ष
पति डॉ. श्री महेन्द्र कुमार जैन
निवासी- 382 ए, राईट टाउन
सुभद्रा कुमार चौहान वार्ड जबलपुर
तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र)

श्री सुरेन्द्र तिवारी अधिवक्ता
रीडर
07 DEC 2017

// विरूद्ध //

प्रत्यर्थीगण :- 1. श्रीमान अपर आयुक्त महोदय जबलपुर संभाग
जिला जबलपुर (म.प्र)

2. श्रीमान द्वितीय अपर कलेक्टर ग्रामीण
जबलपुर (म.प्र)

रिवीजन अंतर्गत धारा- 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग, के राजस्व प्रकरण क्र. 0403/अपील/2016-17 पक्षकार डॉ. श्रीमती चन्द्ररेखा जैन विरूद्ध म. प्र.शासन में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 16.10.2017 (सोलह अक्टूबर दो हजार सत्रह) से क्षुब्ध एवं परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्य एवं आधार पर यह अपील प्रस्तुत कर रही है :-

तथ्य

1. यह कि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील सारतः इस आशय की है कि अपीलार्थिया मौजा भंमकी प.ह.नं. 58/53 (अंठावन बटा तिरेपन) नं.बं. 324/69 (तीसन सौ चौबीस बटा उनहत्तर) रा.नि.मं. शहपुरा तह. शहपुरा जिला जबलपुर में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 138/2 (एक सौ अड़तीस बटा दो), 138/7 (एक सौ अड़तीस बटा सात), रकवा क्रमशः 0.04 (शून्य दशमवल शून्य चार), 0.26 (शून्य दशमवल दो छै) कुल रकवा 0.30 (शून्य दशमवल तीन शून्य) हेक्टेयर, भूमि पर मालिक काबिज है एवं राजस्व अभिलेखों में अपीलार्थिया का नाम बतौर भूमि स्वामी दर्ज है ।

2. यह कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को अपीलार्थिया ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.09.1987 (तीन सितम्बर उन्नीस सौ सतासी) एवं दिनांक 11.01.1991 (ग्यारह जनवरी उन्नीस सौ इंक्यानवे) को पंजीकृत विक्रय पत्र में उल्लेखित चौहद्दी अनुसार क्रय की है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक एक–निगरानी/जबलपुर/भू.रा./2018/130

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.08.18	अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 403/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–10–17 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक को सुना गया । 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण में विचार करना है कि क्या अपर कलेक्टर जबलपुर ने प्रकरण कमांक 57 अ–6–अ/13–14 में पारित आदेश दिनांक 18–11–14 के विरूद्व प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन पत्र दिनांक 19–5–15 को आदेश दिनांक 5–12–2016 से समयवाह्य पाने से निरस्त करने में त्रृटि की गई है एंव आदेश दिनांक 5–12–2016 के विरूद्व अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील प्र0क0 403/2016–17 को आदेश दि. 16–10–17 से निरस्त करने में भी किसी प्रकार की बैधानिक त्रृटि हुई है ? अपर कलेक्टर जबलपुर के आदेश दिनांक 5–12–2016 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर कलेक्टर जबलपुर ने प्रकरण कमांक 57 अ–6–अ/13–14 में आदेश दिनांक 18–11–14 पारित किया है जिसके विरूद्व अपर कलेक्टर के समक्ष दिनांक 19–5–15 को पुनरावलोकन आवेदन (लगभग 6 माह वाद) प्रस्तुत हुआ है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में म0प्र0संशोधन अधिनियम कमांक 42 सन 2011 व्दारा पुनरावलोकन हेतु 90 दिन की समय–सीमा के स्थान पर 60 दिवस की सीमा नियत की गई है जबकि	

आवेदकगण का पुनरावलोकन आवेदन अपर कलेक्टर के समक्ष लगभग 6 माह वाद प्रस्तुत हुआ है। सामान्य सिद्वांत है कि एकपक्षकार को परिसीमा का लाभ देते हुऐ द्वित्तीय पक्ष को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकार से बंचित नहीं किया जा सकता। जो पक्ष स्वयं के अधिकारों के प्रति सजग नहीं है उसे अनुचित लाभ न देने में अपर कलेक्टर ने त्रुटि नहीं की है जिसके कारण अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने प्रकरण कमांक 403 / 2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–10–17 से अपर कलेक्टर जबलपुर के आदेश दिनांक 5–12–2016 में हस्तक्षेप नहीं किया है।

3 / उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य